बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं0सं0–मं0मं0–01 / आर0–14 / 2008 1285

प्रेषक,

राधा कृष्ण चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव
सरकार के सभी सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक– 22 अप्रैल, 2008

विषयः– **मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–181 दिनांक–30.01.06

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ भेजे जाने वाले संलेख 30 की संख्या में भेजने का आदेश दिया गया था।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या–1206 दिनांक–13.04.08 के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि भविष्य में संलेख प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ निम्न प्रकार से भेजा जाय।

1.	संलेख (सभी संलग्न अनुलग्नकों के साथ)	–45 प्रतियाँ
2.	जाँच पत्र	–05 प्रतियाँ
3.	कार्यान्वयन सूची	–05 प्रतियाँ
4.	प्रेस नोट	–30 प्रतियाँ

2. साथ ही यह भी अनुरोध है कि कार्यान्वयन सूची की 5 प्रतियाँ तथा प्रेस नोट की 30 प्रतियाँ संलेख के साथ संलग्न न कर, अलग से भेजी जाय ताकि उसे प्रेस को निर्गत करने में सहूलियत हो।

विश्वासभाजन

22.4.08

(राधा कृष्ण चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Panday Jee.doc

मंत्रि परिषद् हेतु

जांच – पत्र

(दिनांक 05.06.1982 द्वारा संशोधित)

1 विभाग का नाम — शि

2 संचिका संख्या — 4

3 प्रस्ताव का विषय — श्री
क
ए
स

4 क्या हर संलेख के उपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपांत में गोपनीय लिखा गया है ।

5 क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मुख्य बातों का उल्लेख संलेख में कर दिया गया है ।

6 जिन विभागों में परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख से सहमत हैं ।

7 व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है, बजट उपबन्ध किया जा चुका है तो लागत व्यय विवरणी संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं

8 यदि वित्त विभाग, कार्मिक विभाग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग या कसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयीहै, तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त्त लगाये गए हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गयाहै और प्रस्ताव तदनुसार हैं ।

9 क्या संलेख पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं इसके संलेख में लिख दिया गया है ।

10 क्या संलेख वाली संचिका के साथ अन्य सृजित संचिकाएँ जमा की गयी है और उन्हें निदेश अंकित कर दिया गया है ।

11 नये पदों के सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति [illegible] की सहमति के अतिरिक्त यदि [illegible] और गैर

योजना मद में हो तो प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

12 ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है।

13 सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में
(क) क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योग्यता का पूरा–पूरा उल्लेख कर दिया गया है
(ख) क्या सीधी भर्त्ती वालों के पूर्ववृत सत्यापित किये गए हैं ।

14 प्रोन्नति या सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थान आरक्षरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाज रखा गया है और यदि नहीं तो इसका कारण एवं इसमें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं ।

15 (1) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों ने सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सभी अहर्त्ता और शर्त्तो पूरी कर ली है
(2) जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप से स्वीकृत है या अस्थायी
(3) प्रोन्नति स्थायी/परीक्ष्यमान या अस्थायी रूप से प्रस्तावित हैं ।

16 क्या संपुष्टि या प्रोन्नति विषय प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण (सुपरलेशन) हैं, तो क्या संलेख में इसके कारण का उल्लेख कर दिया गया है ।

17 प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :–
(क) क्या प्रोन्नति या नियुक्ति की जानेवाले पदाधिकारियों के विरूद्ध किन्हीं अभियोगी के संबंध में कोई कार्रवाई चल रही है
(ख) यदि कोई कार्रवाई चल रही है तो क्या उसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है

(ग) क्या प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है ।

18 लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की भी जाँच कर ली जाय :–
(क) 1–लोक सेवा आयोग की अधिसूचना पत्र किस

पत्र से कब भेजा गया है

2–क्या लोक सेवा आयोग की अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है

3–क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है जो विभाग में भेजना लम्बित है

2–नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलम्ब का कारण क्या है

(ख) 1–क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिए प्रस्तावित पदा0 के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है

2–कोई प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित है

3–किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है

(ग) क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़कर विभागीय प्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है

19 अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिए विलम्ब से प्राप्त प्रस्तावक के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गयी है जिसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि विलम्ब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारी को दंड देने के लिए विभाग ने कौन–सी कार्रवाई करें ।

20 क्या संलेख संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर सयुंक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए)

21 संलेख चकचालित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढ़ा गया है या नहीं या संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं ।

22 क्या संलेख को आयुक्त एवं सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं ?
(संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिये)

23 संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नही ।

24 कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नही ।